

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

सं०सं०-17/विविध-01-124/2026-

पटना, बिहार, दिनांक- / / 2026

दिनांक-23.06.2026 को पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दौरान पाया गया कि प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं।

2. कार्यक्रम में प्राचार्य का बिना किसी छुट्टी आवेदन/सूचना तथा किसी अन्य को प्रभार सौंपे बिना संस्थान से अनुपस्थित रहना एवं उनके मोबाईल पर सम्पर्क करने पर फोन नहीं उठाना घोर प्रशासनिक लापरवाही का द्योतक है। इसके साथ ही उनके अनुपस्थित रहने के कारण प्राचार्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों/समस्याओं का स्थलीय विचार-विमर्श करने की आवश्यकता थी, जिसे पूरा नहीं किया जा सका।

3. इस संबंध में प्राचार्य की अनुपस्थिति का सत्यापन कराने पर पाया गया कि डा० नरेन्द्र प्रताप सिंह कार्यालय अवधि के दौरान ही अपने निजी क्लिनिक में उपस्थित हैं। सत्यापन के क्रम में डा० सिंह के क्लिनिक के बाहर उनका विभागीय सरकारी वाहन भी लगा हुआ पाया गया, जो सरकारी ससाधन का व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

4. डा० सिंह का उपर्युक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन किये जाने में घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, सरकारी ससाधनों का दुरुपयोग एव अनाधिकृत अनुपस्थिति को दर्शाता है।

5. अतः डा० नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्राध्यापक, मनोरोग विभाग-सह-प्रभारी प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्राध्यापक, मनोरोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मृणायक दास)

सरकार के अपर सचिव।

सं० सं०-17/विविध-01-124/2026- 732 (17) पटना, दिनांक :- 25/6 /2026

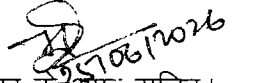
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार/संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।